P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-12* March- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में नक्सलवाद : समस्या एवं सामाधान

मनोज कुमार
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,चंदेलीपुरा,
करौली, राजस्थान

सारांश

नक्सलवाद आज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण और आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बडा नासूर बन चुका है। पं. बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलबाड़ी नामक स्थान से 1967 में किसानों–छात्रों द्वारा भूपतियों एवं जमींदारों के विरूद्ध प्रारम्भ हुआ सामाजिक–आर्थिक आन्दोलन आज हिंसात्मक आतंकवाद का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। पं. बंगाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के बागी कार्यकर्ताओं–चारू मजूमदार (1918–1972), जंगल संथाल (1932–2010) और कानू सान्याल (मृत्यु 1981) द्वारा एक सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रारम्भ हुआ नक्सलवाद चीन की सांस्कृतिक क्रांति से प्रेरित और माओवादी विचारधारा द्वारा पोषित है, जिसका उद्देष्य सर्वहारा शासनतंत्र की स्थापना एवं वर्गहीन समाज का निर्माण है। एक सामाजिक आन्दोलन के रूप में नक्सलवाद संथाल, उरांव, राजवंषी जनजातीय लोगों एवं कृषकों को साथ लेकर 1965 में चारू मजमूदार ने शेयर क्रोपर्स एवं चाय बागान श्रमिकों को लेकर शुरू किया।

नक्सलवाद कोई साधारण कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है अपितु गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। इसकी जड़ें सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों में हैं। नक्सलियों का संसदीय व्यवस्था से विष्वास उठ चुका है, क्योंकि जमीनी हकीकत यही है कि कतिपय क्षेत्रों मे भूमि सुधार कानून लागू नहीं हो सके हैं। आर्थिक विषमता एवं शोषण चरम पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक–सम्बंध अभी भी सामंती हैं। आदिवासियों का विकास अवरूद्ध हो गया है। राजनेता वोट बैंक की नीति के जरिये चुनाव–चुनाव खेलते रहते हैं। प्रषासनिक लवाजमा मजबूरी में अपनी नौकरी पक्की करने तक सीमित है। कानून व्यवस्था केन्द्र–राज्य विवाद और संघीय भावना की दुहाई के बीच फीकी पड़ जाती है।

मुख्य शब्द : नक्सलबाड़ी, मार्क्सवाद, माओवाद, आंदोलन, हिंसा, नक्सली, आतंक, नक्सलवाद, हथियार, वार्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा।

प्रस्तावना

नक्सलवाद एक विचारात्मक राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष है, जो वर्तमान राजसत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है, यह मूलरूप से मार्क्सवाद, लेनिनवाद एवं माओवाद के वर्ग संघर्ष पर आधारित है, इसके तहत शोषित एवं उपेक्षित वर्ग अपनी संघर्ष शक्ति से पूँजीपतियों, जमींदारों, साहूकारों और शासकों को अपना शिकार बनाते हैं, उनकी धारणा सर्वहारा शासनतंत्र की स्थापना है।

नक्सलवाद साम्यवादी विचारधारा पर आधारित एक हिंसक आन्दोलन है, साम्यवाद में व्यवस्था में परिवर्तन आमूलचूल लक्ष्य होता है और साधन है हिंसा। इस साम्यवाद के कई रूप हैं यथा– मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद आदि। माओवाद चीनी साम्यवादी आन्दोलन है जिसके तहत् भूमिपतियों का दमन कर भूमिहीनों का वर्चस्व स्थापित किया जाता है, नक्सलवाद इसी माओवाद का भारतीय प्रतिरूप है जिसमें भूमिपति–भूमिहीन संघर्ष के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक विषमता एवं जातीय तनाव भी जुड़ गए हैं।

माओवादियों पर बन्दूक संस्कृति हावी है। नक्सलियों पर अन्य आतंकी संगठनों के समर्थन एवं चीन की मदद लेने के आरोप लगते रहे हैं। उन्हें अंतिम अंजाम सोचना होगा। स्वार्थी लोगों की कठपुतली बनकर अपना जीवन बर्बाद करने पर पुनर्विचार करना होगा। माओवादियों की कल्याणकारी मांगे सरकार को तुरंत माननी चाहिए। लेकिन उन्हें यह आगाह करना चाहिए कि हिंसा जारी रहने पर उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक कार्यवाही की जा सकती है। हम नक्सलवाद से निपटने के लिए यद्यपि रूस, इजरायल एवं चीन की तरह बेरहमी नहीं दिखा सकते, लेकिन क्या हमें भारत को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह अराजक राष्ट्र बनने देना चाहिए।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य उद्देष्य भारत में नक्सलवाद की समस्या एवं उसके समाधान के उपायों का अध्ययन करना है। इस शोधपत्र में सन 1967 में नक्सलबाड़ी गांव से प्रारम्भ हुए हिंसक आंदोलन नक्सलवाद के विभिन्न पक्षों का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास किया गया है साथ ही नक्सलवादी आंदोलन के कारणों पर प्रकाष डालते हुए, इस आंदोलन को समाप्त करके नक्सलियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रभावी सुझाव देने का भी प्रयास किया गया है, जिससे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सुनिष्चित किया जा सके।

शोध पद्धति

वर्तमान शोधपत्र में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार की शोध पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। भारत में नक्सलवाद के अध्ययन से सम्बन्धित सामग्री, महत्वपूर्ण विद्वानों की किताबें, समय–समय पर नक्सलवाद के निवारण हेतु गठित समितियों एवं आयोगों के प्रतिवेदन, शोधपत्रों में प्रकाषित आलेख, समाचार, पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाषित सम्पादकीय एवं आलेखों का अध्ययन किया गया है। शोधकर्ता द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके नक्सलवाद से प्रभावित लोगों से भी प्रष्नावली व अनुसूची के माध्यम से नक्सलवाद से सम्बन्धित जानकारी इकट्ठा की गई है। इन्हीं के आधार पर यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि भारत में नक्सलवाद को समाप्त करने हेतु अभी तक क्या–क्या प्रयास किये गये है और कौन से वे क्षेत्र है जिन पर ध्यान देने की अभी आवष्यकता है।

साहित्यावलोकन

भारत में नक्सलवाद की समस्या एवं समाधान के सन्दर्भ में किये गये इस शोध के उद्देष्यों तथा शोध पद्धति का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस विषय पर लिखे गये साहित्य का अवलोकन, विष्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया है यथा–

टी.वी. पत्रकार हृदयेष जोषी द्वारा लिखित उपन्यास ''लाल लकीर'' (2016) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में घट रही त्रासदी के रेषों को पकड़ने, समझने और दिखाने की कोषिष है। यह उपन्यास आदिवासी महिला अध्यापिका भीमे और उसके प्रेमी रामदेव की कहानी और संघर्ष की उन कथाओं तक ले जाता है जो कभी बाहर नहीं आ पाती। इसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर में में नक्लवादियों द्वारा चलाई जा रही जनताना सरकार तथा प्रषासन के बीच चल रहे खूनी संघर्ष को दर्षाया गया है।

विवके सक्सेना एवं सुषील राजेष द्वारा लिखित रचना 'नक्सली आतंकवाद' (2010) में लिखा गया हैं कि नक्सलवाद किसी भी तरह की क्रांति नहीं, बल्कि आतंकवाद का ही नया रूप है।बेषक यह लष्कर–ए–तैयबा और जैष–ए–मुहम्मद के इस्लामी आतंकवाद से भिन्न है, लेकिन नक्सलवाद को सामाजिक आर्थिक–कानूनी टकराव करार नहीं दिया जा सकता। यह एक ऐसी जमात है, जिसे मुगालता है कि बंदूक की नली से सन् 2050 तक भारत की सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है। आज देष का करीब एक तिहाई भाग नक्सलवाद से बेहद जख्मी एवं लहुलुहान है।

राहुल पण्डिता ने अपनी पुस्तक 'सलाम बस्तर' (2012) में छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थान पर नक्सलवाद के प्रभाव एवं विस्तार के बारे में लिखते हुए बताया है कि सरकारी नीतियों एवं प्रषासन की नाकामियों की वजह से नक्लवाद और बढ़ रहा है। इस क्षेत्र के आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पाया है। वे सरकारी उपेक्षा का षिकार है इसलिए ही उन्होंने हथियार उठाये है। लेखक आगे लिखते है कि इस क्षेत्र का विकास करके ही इन लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकता है।

किशलिय भट्टाचार्य जी ने अपनी रचना ''एन अनफिनिस्ड रिवॉल्युष्न'' (2017) में बताया है कि भारत में नक्सलवादी आंदोलन का विस्तार एवं प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि अब लगता है कि यह क्रांति कभी खत्म होने वाली नहीं है।

जी.एल.शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक 'सामाजिक मुद्दे' (2015) के अध्याय 23 में नक्सलवाद के उदय, प्रभाव, उदय के कारणों, नक्सलवाद के विस्तार तथा नक्सलवाद को रोकने के लिए बताये गये सुझावों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस पुस्तक में बताया गया है कि नक्सलवाद आज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नासूर बन चुका है इसे रोकने के लिए सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक प्रयासों के साथ–साथ सैन्य प्रयास भी मजबूती से करने होंगे।

उपर्युक्त विवेचन द्वारा शोध–विषय से सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। समय तथा अन्य परिस्थितियों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए जो साहित्य सुलभ हो पाये, उन्हीं की यहाँ समीक्षा की गई है।

नक्सली आन्दोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

''सत्ता बंदूक की नली से निकलती है'' के प्रतिपादक माओत्से तुंग की विचारधारा पर चलने वाला नक्सलवाद 'नक्सबाड़ी' शब्द सिलीगुड़ी के निकट एक गांव नक्सलबाड़ी से मिला है यह स्थान नेपाल से 4 मील, बांग्लादेष से 14 मील, सिक्किम से 30 मील और तिब्बत से 80 मील की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में 256 वर्गमील भूमि पर फैले नक्सलबाड़ी, खारनावाड़ी और फासीदेवा तीन स्थान प्रमुख महत्व रखते हैं। यह क्षेत्र 1967 में साम्यवाद प्रभावित किसान सभा के भूमि सम्बन्धी विद्रोह के कारण चर्चित हो गया था, नक्सलबाड़ी गांव में 2 मार्च, 1967 को एक स्थानीय जमींदार के सषस्त्र गुण्डों ने बिगुल नामक किसान को बेरहमी से पीटा, उसके दूसरे ही दिन किसान आन्दोलनकारियों ने जमीन के एक बड़े भूखण्ड को लाल झण्डों से घेरकर खुदाई शुरू कर दी। पुलिस से दमनात्मक कारवाई शुरू की। 23 मई को किसानों ने एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी, बदले में पुलिस ने 9 महिलाओं एवं 1 बच्चे को मार गिराया, जमींदारों की गर्दने काटकर पेड़ों पर लटकाने की खबर आने लगी। विद्रोहियों ने सरकारी दफ्तरों में रखे जमीन के कागजातों को जला दिया। जमींदारों द्वारा सताए गए भूमिहीन एवं जातिप्रथा के षिकार लोग आंदोलन में कूद

पडें और आंदोलन भड़क उठा। इस प्रकार खूनी संघर्ष का प्रारम्भ हुआ, जो आज भी जारी है।

चारू मजूमदार, कानू सान्याल और मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में शुरू हुए इस आन्दोलन में भू–अपहरण, फसलों को काट लेना, हिंसा, आतंक, आगजनी, लूटमार, गोली मारने की घटनाओं के कारण कानून एवं व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई। पुलिस प्रषासन कार्य करने में असमर्थ हो गया। अव्यवस्था एवं भ्रम की स्थिति में स्थानीय विद्रोही किसानों को प्रोत्साहित किया गया और वे सामान्य सरकार स्थापित करने की स्थिति में पहुंच गए, इसका परिणाम था कि चार माह की अवधि के भीतर किसान सभाओं की सदस्य संख्या 4 लाख तक पहुंच गई। यद्यपि कुछ समय पश्चात् पष्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार उन्हें दबाने में सफल रही।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई) से अलग हुए धड़े ने 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एवं लेनिनवादी (सी.पी.आई.– एम.एल) का गठन किया और इन लोगों ने ही नक्सली आन्दोलन की नींव रखी। इनमें सबसे प्रमुख थे– बंगाल के जमींदार परिवार के चारू मजूमदार। संयोगवष यह आन्दोलन ऐसे समय पर फूटा जब सी.पी.आई (एम.एल) ने बंग्ला कांग्रेस के साथ पष्चिम बंगाल में गठबंधन सरकार का गठन किया। पष्चिम बंगाल में उभरे इस आन्दोलन का प्रभाव आन्ध्र प्रदेष, केरल एवं उड़ीसा तक देखा गया। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के सैकड़ों छात्र पढ़ाई छोड़कर इस आन्दोलन में कूद पड़े।

कोलकाता में एक मई 1969 को सी.पी.आई.(एम. एल.) की विषाल रैली का आयोजन किया गया। इसमें कानून सान्याल ने पार्टी का घोषणा–पत्र जारी किया। पष्चिम बंगाल के बाद केरल में नक्सलवादी गतिविधियां शुरू हुई, क्रांतिकारियों ने मालाबार क्षेत्र को लघु अल्बानियचा बनाने का निष्चय करके बानेड ़जिले का भीतरी प्रदेष आतंकवादी गतविधियों के लिए आधार के रूप में चुना। पालाघाट जिले के जंगलों में उग्रवादी कम्युनिस्टों को गुरिल्ला युद्ध का प्रषिक्षण दिया गया, उग्रवादियों का पुलिस स्टेषन से हथियार प्राप्त करना, हिंसात्मक कार्यवाही के द्वारा भय का वातावरण पैदा करना मुख्य उद्देष्य रहा।

प्रारम्भिक दौर में नक्सली आन्दोलन प्रभावपूर्ण रहा। मई 1970 में सी.पी.आई. (एम.एल) की एक गुप्त बैठक हुई तथा इसमें चारू मजूमदार को महासचिव चुना गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से (बांग्लादेष) युद्ध के दौरान नक्सलियों के खिलाफ सेना ने कार्यवाही की, इसके बाद 1972 में कोलकाता पुलिस ने चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया। 16 दिन हिरासत में रहने के दौरान संदिग्ध परिस्थतियों मे मजूमदार की मृत्यु हो जाने के बाद आन्दोलनकारियों में टकराव शुरू हो गया। नागभूषण पटनायक के द्वारा आन्दोलन की कमान संभाली गई, भ्रम के बाद भी नक्सली धारा में आकर्षण कम नहीं हुआ। 1973 में बिहार एवं आन्ध्र प्रदेष के तेलंगाना क्षेत्र में नए सिरे से गुरिल्ला संघर्ष फूटा। 1970 से 1975 के मध्य इसने बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया, जिससे अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी आन्दोलन को समर्थन मिलने लगा। अगस्त 1974 को नोम चोमस्की, सीमोन द बुआ सहित दुनियाभर के तीन सौ से अधिक बुद्धिजीवियों ने तत्कालीन केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर नक्सलियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के प्रति ऐतराज जताया और उनकी रिहाई की मांग की, उस समय 5,000 से अधिक नक्सली और उनके समर्थक जेलों में बन्द थे। जून 1975 में देष में आपातकाल लगाए जाने के बाद नक्सली आन्दोलन स्थगित हो गया।

नक्सली आन्दोलन का नया दौर ''पीपुल्स वार ग्रुप'' के गठन के बाद शुरू हुआ। ऑल इण्डिया कम्युनिस्ट रिवोल्यूषनरी की ओर्डिनेषन कमेटी के सदस्य कोडापल्ली सीतारमैया ने 12 अप्रेल 1980 को इसका गठन किया। सीतारमैया ने वारंगल स्थित अभियांत्रिकी और चिकित्सा महाविद्यालय में अपनी विचारधारा का सफलतापूर्वक प्रचार किया। 1997 में सी.पी.आई (एम.एल) ने एक विषाल रैली की, 1999 में बिहार में सी.पी.आई (एम.एल) पार्टी युनिटी का पीपुल्स वार ग्रुप में विलय हुआ और सन् 2000 में आन्ध्र प्रदेष, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेष, झारखण्ड़ और बिहार में बड़े पैमाने पर नक्सली हिंसा हुई, सुरक्षाबलों से मुकाबला करने के लिए पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी का गठन किया गया। सन् 2001 में नक्सली–माओवादी संगठनों ने एक समन्वय समिति बनाकर दक्षिण एषिया में आन्दोलन को उग्र करने का निर्णय किया। अक्टूबर 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माओवादी) अस्तित्व में आ गई है। अन्य सभी नक्सली गुटों से भिन्न चुनावों में हिस्सा लेते हुए धीरे–धीरे अपने आपको एक राजनीतिक पार्टी के रूप में ढ़ालने का काम माकपा (लिबरेषन) ने किया है। इस प्रकार नक्सली आंदोलन औपचारिक–अनौपचारिक रूप से अपने पैर पसार रहा है।

नक्सलवादी आंदोलन का उद्देश्य

नक्सलवादी भारतीय राज्यव्यवस्था को अपना दुष्मन मानते रहे हैं, उनका मकसद हिंसात्मक कार्यवाही के दम पर भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चुनौती देना है उग्र वामपंथी या दक्षिणपंथी ताकतें तो लोकतन्त्र में यकीन ही नहीं रखती हैं।

सीमित लक्ष्य की बात करें तो नक्सलवादी सामाजिक, आर्थिक विषमता को दूर करने की बात करते हैं। सर्वहारा का अधिनायकवाद हिंसा द्वारा स्थापित करना, इस आन्दोलन का मुख्य लंक्ष्य एवं कार्यक्रम है अतः इसे वामपंथी आतंकवाद की संज्ञा दी जा सकती है। भारत में इसमें स्थानीय समस्या जुड़कर इसकी गम्भीरता को बढ़ा देती है। इस आन्दोलन का वास्तविक लक्ष्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना है, परन्तु हिंसा, अपराध एवं उग्रवाद की राह अपनाने के कारण आज हमारे समाज एवं शासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती एवं समस्या के रूप में उभरी है।

माओवादी खनिज संसाधनों पर पूँजीवादी घराने के एकाधिकार को खत्म कर मजदूर एवं किसान के हाथ में शक्ति व सत्ता प्रदान करने का अपना लक्ष्य बताते हैं।

नक्सलवादी आन्दोलन का विस्तार

नक्सलवादी आन्दोलन 1967 में पश्चिम बंगाल से शुरू होकर 1971 में बंगाल के चार, बिहार के तीन

और उड़ीसा के एक जिले में फैल गया। आज देष के नौ राज्यों के 106 जिले नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हैं तथा देष के 195 जिले और 16 राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं जिसमें कुछ आंषिक है तो कुछ पूर्णरूप से जिसे आज रेड कॉरिडॉर के रूप में जाना जाता है। इसमें ये राज्य है–पष्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेष, झारखण्ड, ओडिषा, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेष, उत्तर प्रदेश गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तराखण्ड। सन् 2050 तक माओवादी भारतीय राज्य का तख्तापलट करना चाहते है।

हाल में हुए हमले उन खुफिया रिपोर्ट्स की पुष्टि करते हैं जो यह कहती है कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र का दायरा बढ़ा है और अब उनके निषाने पर अत्यन्त सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र और लोग हैं, 25 मई, 2013 दरभा घाी के हमले के बाद गृह मंत्रालय भी इस नतीजे पर पहुँचा था कि वाम–चरमपंथियों की लोकप्रियता व दबाव दोनों बढ़े है, अब इनके लोग व विचार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे–क्षेत्रों में आ गए है। कुछ प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में इनका प्रभाव बढ़ा है। सरकार नक्सल जैसी बड़ी समस्या के लिए आँकडो में उलझती है, आँकड़ो से नक्सलियों की रणनीति का खुलासा नहीं होता है।

नक्सली आन्दोलन का प्रभाव क्षेत्र

जमींदारों के विरूद्ध प्रारम्भ हुआ यह आन्दोलन आज सीधे सत्ता के खिलाफ हो गया है। नक्सलवादी गतिविधियों के क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेष, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेष, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेष, पष्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, केरल, कर्नाटक राज्य आ चुके हैं। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देष के 55 जिले नक्सली हिंसा से पूरी तरह ग्रस्त हैं, 17 जिले आन्दोलन से प्रभावित है, 52 जिलों में नक्सलियों का आंषिक असर है और 21 अन्य जिले नक्सलियों के निषाने पर है। छत्तीसगढ़ के बस्तर सम्भाग के दण्डकारण्य इलाके में नक्सली अपने द्वारा गठित समानान्तर सरकार को जनतन सरकार के नाम से सम्बोधित करते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से उनकी सत्ता वहां केरल, जैसे प्रान्त के दोगुने इलाके में स्थापित है, जनतन सरकार आदिवासियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारने एवं उनके बच्चों को षिक्षित करने का काम कर रही है, यह सरकार जल, जंगल एवं जमीन पर स्थानीय लोगों के हक के दर्षन से संचालित हो रही है।

नक्सली हिंसा में संलग्न गुटों में पीपुल्स वार ग्रुप प्रमुख है, जिसे 1980 में सी.पी.आई (एम.एल) से निकले विद्रोही नेता कोडापल्ली सीतारमैया ने स्थापित किया। 1999 में सी.पी.आई. (एम.एल) के पार्टी यूनिटी के साथ विलय के बाद के यह संगठन खुद को पीपुल्स वार ग्रुप कहने लगा। पार्टी युनिटी की स्थापना 1978 में एन. प्रसाद ने की थी। आन्ध्र प्रदेष, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, मध्य प्रदेष और बिहार में इस ग्रुप का व्यापक प्रभाव है। 1200 से अधिक पेषेवर हिंसक नक्सली इस संगठन में हैं तथा अन्य सहयोगी एवं सदस्यों की संख्या दस हजार से अधिक है। इस ग्रुप का मुख्य कार्य भू–स्वामियों और जमींदारों पर हमला, अपहरण, धन उगाही, नेताओं और पुलिस कर्मियों की हत्या करना है। दूसरा प्रमुख गुट माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर (एम.सी.सी) है जिसका गठन 1969 में कन्हाई चटर्जी ने किया था। 1984 में इस गुट की बिहार इकाई को नई पहचान मिली। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और मध्य प्रदेष में इसका प्रभाव अधिक है। अनेक बर्बर नरसंहारों को इस गुट ने अंजाम दिया। इस गुट में 200 से अधिक पेषेवर हिंसक नक्सली और 20,000 अन्य सक्रिय सदस्य हैं।

पीपुल्स वार ग्रुप और एम.सी.सी. दोनों गुटों का 14 अक्टूबर, 2004 को विलय होने से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया माओवादी अस्तित्व में आई। दोनों गुटों की संयुक्त गुरिल्ला सेना का नाम ''पीपुल्स लिबरेषन गुरिल्ला आर्मी'' रखा गया है। दोनों गुटों के एकजुट होने से यह आन्दोलन और मजबूत हो गया है, इन दोनों गुटों के अलावा देषभर में लगभग 20 छोटे–बड़े नक्सली संगठन और सक्रिय है।

नक्सलवादी आंदोलन के उदय के कारण

भारत में नक्सली आंदोलन के उदय होने के निम्नलिखित कारण है–

नक्सलवाड़ी विद्रोह

2 मार्च, 1967 को पष्चिम बंगाल के छोटे से गाँव 'नक्सलवाड़ी' में एक आदिवासी किसान विमल को कोर्ट से आदेष के बावजूद जमीन का कब्जा नहीं मिला। जब वह मौके पर पहुँचा तो जमींदार ने उस पर हमला भी किया। इस घटना का विरोध पूरे गाँव वालों ने किया और नतीजें में जिन जमीनों पर जमींदारों का कब्जा था, उसे गाँव वालों ने अपने कब्जें में ले लिया। पुलिस मौके पर पहुँची। सिलीगुड़ी किसान सभा के प्रमुख जंगल संथाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने तीर कमान से एक इन्सपेक्टर को ही मार डाला। इसी दौरान माओ समर्थक 'चारू मजूमदार'और उनके साथी भूमिहीनों को जमीन दिलाने का अभियान चला ही रहे थे। नक्सलवाड़ी की घटना से मजूमदार को मौका मिल गया। गाँव–गाँव जाकर उसने लोगों को भड़काया। आतंक फैलाने वाली टोलियाँ बनाईं। दो महीने में ऐसे ही संघर्ष बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेष और तमिलनाडु के माओवादी प्रभाव वाले इलाकों में हुए। फिर क्या था? हिंसा फैलती ही गई। चारू मजूमदार ने इस दौरान जो आठ लेख लिखे, उसे माओवादी आज भी अपनी विचारधारा का सर्वोच्च डॉक्यूमेंट मानते है।

चीनी सहायता

माओवादी नेता कानु सान्याल को सीधे–सीधे चीन से सहायता मिलती थी, ये उसने स्वयं स्वीकार किया हैं। नक्सलवाड़ी आन्दोलन के बाद चीन से उसे बताया गया कि कैसे वह भारत में 'माओवाद' फैला सकता है? उसे भारत में भी 'कम्यूनिस्ट क्रांति' लाने को कहा गया। उसने देष में कम्युनिष्ट पार्टी (माले) बनाई। उसकी पहल पर कई जगह कम्यूनिस्ट क्रांति के नाम पर संगठन बने। पष्चिम बंगाल के कुछ वामपंथी मीडिया ने इसकी बातों का समर्थन उकरते हुए लेख भी छापे। 'सान्याल' पूरे राष्ट्र की सम्पत्ति को सभी लोगों में बराबर बाँटने की वकालत करता था। सन् 1972 में चारू

मजूमदार की मौत के बाद नक्सली आन्दोलन बिखर गया। अलग–अलग गुट हत्याए करने में जुट गए।

बुद्धिजीवियों का समर्थन

सत्तर के दषक में वामपंथ को कथित बुद्धिजीवियों में बहुत लोकप्रियता मिली। इसके पक्षधर स्वयं को 'प्रगतिवादी' या 'कामरेड' कहलाना पसंद करते। कई आई.आई.टी. और अन्य कॉलेज के ड्रॉपआउट्स इस आन्दोलन से जुड़े। वे आदिवासियों और भूमिहीन मजदूरो के संघर्ष की वकालत करते जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जे.एन.यू.)नई दिल्ली तो वामपंथियों का स्थायी ठिकाना बन गया। जब नक्सली हिंसा करते तो ये न सिर्फ उसक समर्थन करते, बल्कि रैली निकालकर, प्रदर्षनी लगाकर सरकार को ही दोषी ठहराते। कुछ लेखकों और बुद्धिजीवियों के ऐसे भाषणों और लेखों को विदेषी मीडिया में जगह भी मिलती और प्रषंसा भी। हालाँकि बाद में जैसे–जैसे नक्सलियों की क्रूर और कायराना करतूतें सामने आईं, वैसे–वैसे बुद्धिजीवियों की दिलचस्पी भी नक्सलियों में कम हुई।

नक्सली आंदोलनकारियों की कार्यविधि

नक्सलियों ने आन्दोलन का आरम्भ माओ द्वारा प्रचलित गुरिल्ला युद्धनीति को अपनाकर एवं जनसमर्थन प्राप्त करके अपनी कार्यवाहियां शुरू की। गुप्त स्थान पर बैठकें आयोजित करके, नक्सलियों की भर्ती एवं उन्हें प्रषिक्षित करकें, जमींदारों, पुलिसजनों तथा राजनीतिज्ञों के दमन एवं हिंसा का प्रतिकार करने के उद्देष्य से अपनी कार्यवाहियां सम्पादित करते है। पुलिस, जमींदारों एवं अन्य लोगों से सषस्त्र संघर्ष के दौरान छीने गए हथियारों से अपने सषस्त्र भण्डारों का निर्माण करके तथा जनाधार को अपने पक्ष में करके अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं। 1980 के दषक में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए नक्सलियों ने तेल धब्बा रणनीति को अपनाया। यह रणनीति इस तथ्य पर आधारित थी कि यदि पानी से भरी एक बाल्टी में तेल का छिड़काव किया जाए तो तेल के धब्बे बन जाएंगे, लेकिन यदि पानी को हिलाकर थमने दिया गया तो तेल का एक बड़ा धब्बा सतह पर तैरने लगेगा अर्थात अनेक छोटे–छोटे क्षेत्रों का निर्माण करके एक अनुकूल समय पर एक इकाई के रूप में गठित हो जाना, नक्सलियों की मुख्य रणनीति थी, मनोवैज्ञानिक पद्धति से लड़ी जाने वाली इस लड़ाई में निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जाता है।

प्रचार

प्रचार के द्वारा नक्सली अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं, प्रारम्भिक दौर में लघु अवधि के प्रचार द्वारा पैम्फलेट वितरण करना, भाषण, दीवार पर लेखन–कार्य, रैली, नाटक, प्रदर्षन आदि का सहारा लिया जाता हैं इसका प्रभाव कम समय तक रहता हैं इसके बाद दीर्घ अवधि प्रचार का सहारा लिया जाता हैं, जिसमें नक्सली साहित्य, पत्र–पत्रिकाएँ , पुस्तकें, नारे व्यवहार आदि का उपयोग किया जाता है। प्रचार के माध्यम से वे जनता को अपने कार्यों से अवगत कराते हैं तथा उनकी सहानुभूति एवं समर्थन प्राप्त करते हैं।

अफवाह

मनोवैज्ञानिक युद्ध में अफवाह का बहुत महत्व होता है, अफवाह से आंखो देखी बातें नहीं कहीं जातीं, बल्कि तरह–तरह के विष्वासों एवं पूर्व धारणाओं के आधार पर झूठी कहानियाँ गढ़ी जाती है। अफवाह फैलाने वाला उसकी जांच नहीं करता, अफवाह का प्रभाव तेज होता हैं, यद्यपि यह कम समय के लिए होता है। नक्सली सामान्यतः जनता के मध्य पुलिस उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार जैसी अफवाहें ज्यादा फैलाते हैं। अफवाह फैलाने का उद्देष्य ग्रामीणों के मन में पुलिस प्रषासन और सरकार के प्रति घृणा भरना होता है। अफवाहों से सुरक्षा बलों का मनोबल गिरता है।

मस्तिष्क परिवर्तन

बुद्धि परिवर्तन के द्वारा जनता के मस्तिष्क में बैठै पुराने विचारो को निकालकर नए विचार भरे जाते हैं, नक्सलियों द्वारा दो तरह से बुद्धि परिवर्तन किया जाता है, एक तो चुने हुए व्यक्तियों या समूह (जिसके अन्तर्गत छात्र समूह, कामगार समूह, बुद्धिजीवी वर्ग) और दूसरा आम ग्रामीण जनता। चुने हुए व्यक्तियों के समूह के लिए नक्सली साहित्य एवं विचारधारा तथा आम जनता के लिए नाटक, भाषण, सषस्त्र प्रदर्षन, प्रषिक्षण आदि का उपयोग किया जाता है। बुद्धि परिवर्तन हेतु रेला नाच का ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें शोषण के विरूद्ध संघर्ष को विषय के रूप में चुना जाता है, रेला नाच का मंचन ग्रामीण और नक्सली दोनों ही मिलकर करते हैं।

नक्सली आन्दोलन के चरण

नक्सली आन्दोलन को तीन चरणों में बाँटा जा सकता है–

1. अपने पहले चरण में नक्सली बुद्धिजीवी और धन स्वामियों को निषाना बनाते थे यह शुरूआती दौर था और तब नक्सलवाद को व्यवस्था के प्रति विद्रोह के रूप में एक बुद्धिजीवी आन्दोलन के तौर पर देखा जाता था। पष्चिम बंगाल में इस आन्दोलन को व्यापक विस्तार एवं समर्थन मिला।
2. दूसरे चरण में नक्सलियों ने सषस्त्र बलों पर हमले शुरू किए। इस चरण में नक्सली आतंक का सीमा विस्तार सबसे अधिक हुआ। पूरे भारत में एक लाल गलियारे का निर्माण होने लगा। जो क्षेत्र भयंकर निरक्षरता, गरीबी और तंगहाली व विषमता से घिरे हुए थे वहाँ नक्सलवाद की जड़े धंसती चली गई।

25 जून, 2013 को छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला बताता है कि अब माओवादियों की लड़ाई तीसरे चरण में पहुँच गई है। अब नक्सलियों के निषाने पर नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व एवं राजनीतिक दल हैं।

नक्सल समस्या से निपटने के सरकारी प्रयास

इसे दो स्तरों में बाँटा जा सकता है– राज्य सरकार के प्रयास एवं केन्द्र सरकार के प्रयास। यथा–

राज्य सरकार के प्रयास

पश्चिम बंगाल ने हथियार कानून 1970 बनाकर आम नागरिकों को नक्सलियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए सस्ते में हथियार देना शुरू किया।

आन्ध्र प्रदेष सरकार ने ऐसा ही कानून वर्ष 1983 में पारित कर आम आदमियों का हथियार दिए। केन्द्र

सरकार के संरक्षण में आन्ध्र प्रदेष सरकार ने नक्सल समूह पीपुल्स वार के साथ शान्ति वार्ता चलाई।

झाखण्ड तथा ओडिषा सरकार आत्म–समर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए विषेष प्रोत्साहन राषि, जीवन बीमा, रोजगार, प्रषिक्षण, कृषि कार्यों के लिए भूमि तथा उनके बच्चों के लिए षिक्षा का पूरा प्रबन्ध करती है।

आन्ध्र प्रदेष सरकार द्वारा शुरू 'ग्रे हाउण्डस' अभियान के तहत् अब तक लगभग 7,000 नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है।

नक्सल आन्दोलन पर अंकुष लगाने के लिए कर्नाटक सरकार ने कृषि प्रोत्साहन देकर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया। कर्नाटक सरकार नक्सल प्रभावित गाँवों के विकास हेतु प्रत्येक पंचायत को दो वर्ष के भीतर विकास कार्यक्रमों के चलाने के लिए 10 लाख रूपए की विषेष सहायता देती है।

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने नक्सलियों द्वारा पीड़ित आम लोगों को अपने पक्ष में लेकर विषेष शस्त्र प्रषिक्षण अभियान चलाया। जिसे 'सलवा जुडुम' के नाम से जाना जाता है। सलवा जुडुम गोंड भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शान्ति मार्च होता है इसके संस्थापक महेन्द्र कर्मा थे। इस योजना के अन्तर्गत हर प्रकार की प्रतिरक्षा योजना की ट्रेनिंग दी जाने लगी। इसका चारों तरफ विरोध होने लगा तथा अदालती आदेष के फलस्वरूप सरकार को सलवा जुडुम अभियान को बन्द करना पड़ा।

केन्द्र सरकार के प्रयास

भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियाँ प्रतिरोधी अधिनियम,1967 के तहत् एम.सी.सी, पी.डब्ल्यू. जी. आदि नक्सल संगठनों को प्रतिबन्धित किया। सरकार ने पष्चिम बंगाल, बिहार, ओडिषा में ''ऑपरेषन स्टीपलचेज'' नाम से एक संयुक्त अभियान शुरू किया। इसमें सेना तथा सीआरपीएफ की मदद ली गई। फलतः नक्सली गतिविधियाँ ठप पड़ गई।

केन्द्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त मंत्रियों एवं सम्बन्धित राज्यों के मुख्यमंत्रीयों के समूह का गठन कर नक्सल समस्या से निपटने का प्रयास किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों की सहायता से पुलिस आधुनिकीकरण अभियान के तहत् पुलिस को विषेष हथियार, उच्च प्रषिक्षण और नई रणनीतियाँ सिखाती है। केन्द्र सरकार के अति पिछड़ा जिला उन्नयन कार्यक्रमों के तहत् नक्सल प्रभावित 9 राज्यों के 55 अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

सुरक्षा सम्बन्धी खर्च योजना (2005) सरकार ने भारत के 9 नक्सल प्रभावित राज्यों के 76 जिलों में यह योजना चलीं। इसमें नक्सल पुनर्वास योजना, सामुदायिक कल्याण नीतियाँ और पुलिस अधिकारियों का बीमा शामिल है। अनुसूचित जाति तथा अन्य परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं वनवासियों के जंगल में रहने और उन्हें एक एकड़ भूमि पर कृषि कार्य आदि की बात स्वीकार की गई। ताकि इन क्षेत्र में नक्सल आन्दोलन पर विराम लगे।

11 अक्टूबर, 2007 को पारित पुनर्वास और पुनर्नियोजन नीति 2007 का मुख्य लक्ष्य लोगों के विस्थापन को रोकना था। इस प्रक्रिया को विधिवत सरल बनाना है। साथ ही केन्द्र सरकार नक्सल प्रभावित जिलों में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का पूर्ण विस्तार एवं क्रियान्वयन को कटिबद्ध है। सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों की प्रतिरक्षा प्रणाली को सम्बद्ध कर एकीकृत आदेष संरचना (यूसीएस) के गठन की पहल की है। यह व्यवस्था संवाद सम्पर्क ओर अभियानों में तेजी लाने में विषेष कारगर होगी।

ऑपरेषन ग्रीन हंट के तहत चार नक्सल प्रभावित ओडिषा, झारखण्ड पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के वन ठिकानों पर सषस्त्र कार्यवाही की जा रही है। केन्द्र सरकार ने नक्सल ग्रस्त राज्यों के लिए एकीकृत कमान का गठन किया है। जिसमें नक्सल विरोधी अभियानों के लिए 20–23 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, एयरफोर्स द्वारा घायलों को अस्पताल से जाने की योजना तथा रिजर्व पुलिस बटालियन की संख्या बढ़ाकर 34 करने के साथ–साथ 1600 विशेष पुलिस ऑफिसर की भर्ती की जानी है, इस एकीकृत कमान की अध्यक्षता सम्बन्धित राज्यों के मुख्य सचिव करेंगे। इसमें भारतीय सेना के सेवानिवृत मेजर जनरल, नक्सल विरोधी अभियानों के महा–निरीक्षक तथा सीआरपीएफ के महानिरीक्षक सक्रिय सदस्य होंगे।

केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून 2013 में नक्सली क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी कौषल विकास योजना 'रोषनी' का प्रारम्भ किया है। इस योजना को झारखण्ड, ओडिषा, छत्तीसगढ़, बिहार, आन्ध्र प्रदेष, पं. बंगाल, उत्तर प्रदेष, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेष के चुनींदा कुल 24 जिलों में लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत 18–35 वर्ष आयु वर्ग के कुल 50,000 युवक–युवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

नक्सल समस्या के समाधान हेतु सुझाव

भारत में नक्सली समस्या को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं–

1. नक्सलवाद सरकार के सामने एक गम्भीर चुनौती के रूप में खड़ा है, इसका समाधान कठिन जरूर है, असम्भव नहीं।, आवष्यकता तो है केवल दृढ़ संकल्प के साथ ही सरकारी तंत्र की नेक नियती की।
2. उन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, पिछड़े आदिवासी तथा जो राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, जों नक्सलवाद से जुड़े है, को विभिन्न योजनाओं द्वारा सहायता पहुँचाकर समाज की मुख्य धारा में लाने की आवष्यकता है।
3. सरकार भूमि सुधार कानून को ईमानदारीपूर्वक लागू करे। सरकार को अषिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी आदि को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
4. उग्रवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार उनसे बातचीत करें। उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करें तथा उग्रवादियों के लिए पुनर्वास समिति का गठन होना चाहिए।
5. समीपवर्ती राज्यों से पुलिस एवं प्रषासनिक तालमेल रखना चाहिए। उग्रवादी क्षेत्रों में स्थित थानों को अत्याधुनिक संचार प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए।

पुलिस बल को आधुनिक हथियार तथा विषेष प्रषिक्षण दिया जाना चाहिए।

6. नक्सलवादियों को देष–विदेष से मिलने वाले सहयोग का पता लगाकर उनके इस नेटवर्क को ध्वस्त करना।
7. उग्रवादियों के खिलाफ गाँव स्तर पर आम जनता के द्वारा मोर्चा बनाना चाहिए। तथा इसे सरकार द्वारा सहयोग मिलना चाहिए।
8. सुरक्षा बलों को गोरिल्ला युद्ध एवं जंगल युद्ध का विषेष प्रषिक्षण देकर आधुनिक हथियार से लैस करें, ताकि माओवादियों को माकूल जवाब दिया जा सके। इस ऑपरेषन को सफल बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य के साथ नक्सल प्रभावित पड़ोसी राज्यों के बीच बेहतर तालमेल की आवष्यकता है।
9. सरकार द्वारा आम लोगों की स्थानीय समस्याओं तथा उनके असंतोष को खत्म करने के लिए नीतियों का सही कार्यान्वयन अति आवष्यक है। सरकारी नीतियों को लागू करने में कोताही बरते वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।
10. इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह विष्वास/एहसास दिलाना चाहिए कि सरकारी तंत्र उनको सभी प्रकार की आवष्यक सुरक्षा तथा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए तत्पर है।

निष्कर्ष

अतः समय आ गया है कि परस्पर राजनीतिक विरोध को दरकिनार कर नक्सलियों के खिलाफ एक व्यापक मुहिम चलाई जाए। यह देष का दुर्भाग्य है कि नक्सल समस्या भी राजनीति का औजार बन गई है। राजनीतिक इच्छाषक्ति की कमी के कारण ही नक्सलवाद विकराल रूप धारण करता जा रहा है। अब भी इस समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल नहीं की गई तो बड़े हमले होते रहेंगे और नक्सलियों का मनोबल बढ़ता रहेगा। छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड का सबक लेते हुए केन्द्र तथा राज्य सरकार को मिलकर एक ठोस नीति पर अमल करने का प्रयास कना चाहिए, साथ ही राजनितिक दलों को भी संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर इस गम्भीर होती समस्या के खात्में के लिए मिलकर काम करना होगा।

अंततः उग्रवादियों को इस बात को समझना चाहिए कि भय, हिंसा से अच्छे उद्देष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्रांति का लक्ष्य शान्ति होना चाहिए अषान्ति नहीं। परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए किसी भी तरह की क्रान्ति लोकतंत्र को स्वीकार है, किन्तु वह संवैधानिक, प्रजातांत्रिक एवं मर्यादापूर्ण हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सक्सेना, विवेक, सुषील राजेष, नक्सली आतंकवाद, प्रभात प्रकाषन, 2010, पृष्ठ 126.*
2. *जोषी ह्रदयेष, लाल लकीर, हार्पर कालिंस पब्लिषर्स, नोएड़ा, 2016, पृष्ठ 251.*
3. *मिश्रा, एस. के., नक्सलवाद, के. डब्लयू पब्लिषर्स, 2010, पृष्ठ 20.*
4. *पण्डिता, राहुल, सलाम बस्तर, ट्रानक्यूबार, 2012, पृष्ठ 162.*
5. *शर्मा, जी.एल., सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेषन्स, जयपुर, 2015, पृष्ठ 236.*
6. *आहूजा, राम, सोषियल प्रॉब्लम्स, रावत पब्लिकेषन्स, जयपुर, 2014, पृष्ठ 2.*
7. *चक्रवर्ती, सुदीप, रेड सन, पेंगुइन, यू.के, 2009, पृष्ठ 401.*
8. *सिंह, प्रकाष, द नक्सेलाइट मुवमेंट इन इण्डिया, रूपा पब्लिकेषंस इण्डिया, 2016, पृष्ठ 289.*
9. *भट्टाचार्यजी, किषलय, एन अनफिनिस्ड रिवॉल्युषन, पेन मैकमिलन इण्डिया, 2017, पृष्ठ 19.*
10. *रायचौधरी, दीप्तेन्द्र, ए नक्सल स्टोरी, पेपरबैक, यू. एस.ए., 2010, पृष्ठ 69.*